Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Supply Appeal Case No.- 158/2025]

Sajid Hussain..Appellant

Versus

The State of Bihar & Others..Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4

16.2.2026

आदेश

यह आपूर्ति अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका संख्या-22363/2018 में दिनांक-20.8.2025 को पारित आदेश के आलोक में जिला चयन समिति, मधेपुरा की कार्यवाही (दिनांक-11.12.2018) के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है।

दिनांक-31.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। Petitioner तथा विपक्षी रिजवान आलम की ओर से Written note of Argument दाखिल है।

सुनवाई में Petitioner के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि आपूर्ति शाखा, समाहरणालय, मधेपुरा द्वारा वर्ष 2017 में नई P.D.S. अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु विज्ञापन निर्गत किया गया। उनका कहना है कि Petitioner साजिद हुसैन द्वारा अनारक्षित कोटि का आवदेन समर्पित किया गया। जो उनके आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है। विपक्षी नौसाद आलम और रिजवान आलम द्वारा अतिपिछड़ा कोटि के लिए आवेदन समर्पित किया गया है। चयन समिति द्वारा चयन नियमों के विपरीत विपक्षी मो. रिजवान आलम का चयन अनारक्षित कोटि के लिए किया गया। जो Bihar Targeted P.D.S. (Control) Order, 2016 के नियम-9(ix) का उल्लंघन है। तदनुसार उनके द्वारा विपक्षी के चयन को रद्द करते हुए उनके पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

सुनवाई में विद्वान सरकारी अधिवक्ता का अभिकथन है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। तथा अपीलाधीन आदेश बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की धारा-9(V) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप है।

विपक्षी संख्या-6 एवं 7 की ओर से जवाब/Rejoinder दाखिल है। उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा नियमानुसार उनका चयन किया गया है तथा यह कि वादी का आवेदन खारिज करने योग्य है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख/LCR में रक्षित कागजातों के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि वर्ष 2017 में मधेपुरा अनुमंडल के मधेपुरा प्रखंड अन्तर्गत भदौल बुधमा पंचायत के लिए कुल-03 (अनारक्षित-2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1) नई PDS अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन के लिए निर्धारित शर्त के कंडिका-6 में अंकित है कि रिक्ति जिस कोटि के लिए आरक्षित है, आवेदन केवल उसी कोटि का प्राप्त किया जायेगा। उक्त प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में कुल 21 आवेदन प्राप्त हुआ। अनारक्षित कोटि के लिए प्राप्त आवेदनों के अनुसार मेधा सूची निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	कोटि	कम्प्यूटर योग्यता (हाँ/ नहीं)	शैक्षणिक योग्यता	प्राप्तांक
1.	प्रेम कुमार	स्व0 जगदीश प्र0 यादव	अनारक्षित	हाँ	स्नातक	74.64
2.	साजिद हुसैन	अब्दुल सत्तार	अनारक्षित	हाँ	इंटर	61.25
3.	कुणाल कृष्ण	अभय कृष्ण यादव	अनारक्षित	हाँ	इंटर	60.77
4.	प्रदीप कुमार	भवेश प्र0 यादव	अनारक्षित	हाँ	इंटर	57.60

16.2.2026

5.	अरविन्द कुमार मेहता	श्री दीपनारायण मेहता	अनारक्षित	हाँ	इंटर	55.88
6.	अभिषेक कुमार	रामोतार साह	अनारक्षित	हाँ	इंटर	55.00
7.	सोनू कुमार	इन्द्रभूषण यादव	अनारक्षित	नहीं	मैट्रिक	46.40

Bihar Targeted P.D.S. (Control) Order, 2016 के नियम-9(V) "The applicant of a fair price shop's license must be matric pass and an adult, Provided that the applicant having computer knowledge shall be given priority. In case of equality in computer knowledge, the applicant having highest qualification and in case of equality in highest qualification also the applicant of older age shall be given priority." तथा नियम-9(ix) "Against unreserved vacancies, persons of all classes may submit application, and the selection shall be made purely on merit, and their status shall be unreserved." के आलोक में अनारक्षित पद हेतु दाखिल आवेदन पत्रों के अवलोकन से मेधा क्रम के अनुसार अनारक्षित पद हेतु निर्धारित 02 पद पर प्रेम कुमार एवं साजिद हुसैन का चयन विधिसम्मत होना चाहिए। किन्तु जिला स्तरीय चयन समिति के स्तर से अनारक्षित मेघा क्रमांक संख्या-2 पर अवस्थित साजिद हुसैन के बजाय अनारक्षित कोटि के विरूद्ध रिजवान आलम का चयन किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। चूंकि रिजवान आलम के आवेदन पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा अति पिछड़ा पद के विरूद्ध आवेदन दिया गया था।

अतः तदनुसार भदोल बुधमा पंचायत अंतर्गत अनारक्षित पद के विरूद्ध रिजवान आलम के चयन को निरस्त करते हुए मेघा क्रमांक-2 पर अंकित साजिद हुसैन का Selection करने का आदेश दिया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि रिजवान आलम को प्रदत्त अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए सजिद हुसैन के पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने संबंधित सभी अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त कार्यवाही 01 माह के अंदर पूरी कर ली जाय।

इस आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Pyc K.
16/2/26.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

Pyc K.
16/2/26.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल सहरसा